मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठों के समक्ष प्रकरणों के आवंटन के साथ लिस्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिये अपडेटेड योजना का सामान्य परिदृश्य (Overview).

परिचय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रकरणों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने से प्रकरणों की लिस्टिंग अत्यधिक कठिन होती जा रही है। सुनवाई के लिए प्रकरणों की लिस्टिंग की रोज बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए उपलब्ध कार्यकारी न्यायाधीशों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, लिस्टिंग प्रक्रिया को सरल बनाने, बेहतर न्यायालयीन प्रकरण प्रबंधन, समय पर निराकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही, एकरूपता सुनिश्चित करने, प्रक्रिया को पक्षकारों तथा अधिवक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने तथा पक्षकारों और अधिवक्ताओं (Stakeholders) की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायक बनाने के लिए दिनांक 06/12/2013 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायपीठों के समक्ष प्रकरणों की लिस्टिंग को सुव्यवस्थित करने हेतु एक योजना अवधारित एवं लागू की गई। विशेष आवश्यकताओं (Exigencies) को पूरा करने तथा प्रणाली के संचालन के दौरान अनुभव की गई कठिनाईयों को दूर करने के लिए पक्षकारों और अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस योजना में समय–समय पर बदलाव किया गया।

इस योजना को प्रारंभ हुए सात माह बीत चुके हैं। अधिवक्ता संघो (Bar Associations) द्वारा नियमित रूप से अंतिम सुनवाई प्रारंभ करने की माँग की गई है।

रोस्टर/आवंटन की इस योजना का मुख्य उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, उसे पारदर्शी, तर्कसंगत और उत्तरदायी बनाना एवं प्रकरण प्रबंधन (Docket Management), विशेषकर प्रारंभिक सुनवाई (Motion Hearing) वाले मामलों में कार्यक्षमता बढ़ाकर पक्षकारों को गुणवत्तायुक्त न्याय प्रदान करना है।

इस योजना की मुख्य विषेषताएं निम्नानुसार है :–

ग्राह्यता (प्रारंभिक सुनवाई) (Admission (Motion Hearing))

1. **ग्राह्यता हेतु (for Admission) विचारणीय कोई भी प्रकरण अदिनांकित नहीं रहेंगे।** ऐसे प्रत्येक प्रकरण में या तो न्यायालय द्वारा दी गई अथवा कम्प्यूटर जनित दिनांक प्रदान की जाएगी।

2. केवल दैनिक/साप्ताहिक बोर्ड/सूची में दर्ज मामलों को, न कि उस श्रेणी के शेष लंबित मामलों को, संबंधित न्यायालय को आवंटित किया गया माना जाएगा।

3. प्रतिदिन उपलब्ध न्यायाधीशों के बीच कार्य भार दैनिक आधार पर, समान रूप से वितरित किया जाएगा।

4. विभिन्न प्रकार के प्रकरणों की आवश्यकताओं (Urgency) को पूरा करने के लिए न्यायालय लिस्टिंग नीति के अनुसार स्वजनित प्रोग्राम बनाया गया है ।

5. सामान्यतः पूर्ण दिवस बैठने वाली न्यायपीठों (एकल/खण्ड पीठ) के समक्ष 100 मुख्य प्रकरण ("आदेश प्रकरणों" (Order Matters) को छोड़कर) लिस्ट किए जाएंगे।

6. निश्चित संख्या (100 मुख्य प्रकरणों) की सीमा के भीतर फिक्स्ड डेट एवं नवीन प्रकरणों की लिस्टिंग के पश्चात् यदि गुंजाईश हो तो उन प्रकरणों को भी लिस्ट किया जाएगा जिनमें कम्प्यूटर जनित तिथि प्रदान की गई है। यदि न्यायालय द्वारा दी गई तिथि वाले प्रकरणों/नवीन प्रकरणों के कारण दैनिक सूची लम्बी (Oversized) हो जाती है, तो कम्प्यूटर जनित तिथियों वाले "उसी प्रकार के नोटिस पश्चात् ग्राह्यता हेतु (for Admission) प्रकरण" उचित संख्या में चार सप्ताह पश्चात् तिथि के क्रम से लिस्ट किए जाएंगे तथा ऐसी तिथियों को दैनिक/पूरक सूची में पुनः अनुसूचित तथा अधिसूचित किया जाएगा।

7. ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालय द्वारा तिथि निर्धारित की गई है वे अवश्य ही लिस्ट किये जावेंगे एवं उन्हें छोड़ा नहीं जायेगा।

8. नई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं कार्यालयीन आपत्तियों (यदि कोई हो तो) के निवारण के पश्चात्, आगामी न्यायालयीन कार्यदिवस पर दैनिक कॉज लिस्ट में लिस्ट की जाएगी। यदि किसी कारणवश इनमें से कोई भी प्रकरण निर्धारित तिथि को न लिए जा सके तो उन्हें आगामी न्यायालयीन कार्यदिवस की पूरक सूची में लिस्ट किया जाएगा।

9. इस लिस्टिंग नीति के लागू होने के पश्चात् दायर किए गए नए ग्राह्यता संबंधी (Admission) प्रकरण कार्यालयीन आपत्तियों (यदि कोई हों तो) के निवारण की दिनांक से तीसरे कार्य दिवस में लिस्ट किए जाएंगे।

10. बकाया/छूटे हुए (Not reached / left over) **नए ग्राह्यता संबंधी (Admission) मामले** अगले सप्ताह में लिस्ट किए जाएंगे तथा वे बकाया **"नोटिस पश्चात् प्रकरण"** (After Notice Cases) जो अधिसूचित दिनांक को नहीं लिए जा सके हों उनमें चार सप्ताह के पश्चात् उचित संख्या में आगामी स्व–जनित वापसी योग्य तिथियाँ (Returnable dates) इस प्रकार प्रदान की जाएंगी, जिससे पूरक कॉज लिस्ट अधिक लम्बी (Oversized) न हो। पक्षकारों तथा अधिवक्ताओं की जानकारी के लिए इन संबंधित प्रकरणों की 'वापसी योग्य दिनांक' उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट में उस प्रकरण की स्थिति केस स्टेटस (Case Status) तथा न्यायालय के आगामी कार्य दिवस की सूची/बोर्ड में भी अधिसूचित की जाएगी। **इनमें से किसी भी स्थिति में, यदि अपवाद स्वरूप अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों में प्रकरण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय कोई भिन्न दिनांक नियत करें तो न्यायालय द्वारा नियत की गई दिनांक मान्य होगी।**

11. धारा 438 और 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के नये प्रकरण, उनमें पायी गई कमी (यदि कोई है तो) के निवारण की तिथि से पाँचवे न्यायालयीन कार्य दिवस को न्यायालय में शीर्षक "जमानत प्रकरण" के अंतर्गत लिस्ट किए जाएंगे।

12. दाण्डिक अपील और दाण्डिक पुनरीक्षण प्रकरण धारा 389 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दण्डादेश के स्थगन/जमानत हेतु प्रस्तुत याचिका के साथ ग्राह्यता (Admission) हेतु लिस्ट किए जाएंगे।

13. दैनिक कार्यसूची में सुनवाई से बचे हुए जमानत प्रकरणों को आगामी द्वितीय न्यायालयीन कार्य दिवस को लिस्ट किया जाएगा।

14. धारा 438 व 439 दं.प्र.सं. के अंतर्गत सभी जमानत याचिकाएं जो कि एक ही पुलिस स्टेशन के समान अपराध क्रमांक से उद्भूत हुई है, और धारा 389 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दण्डादेश के स्थगन से संबंधित सभी आवेदन जो कि समान (एक ही) निर्णय से उद्भूत है, किन्तु अलग–अलग आवेदकों द्वारा अलग–अलग दायर किए गए हैं, उन्हें एक ही माननीय न्यायमूर्ति (न्यायमूर्तियों) के समक्ष लिस्ट किया जाएगा, **किन्तु यदि किसी कारणवश वही (समान) न्यायमूर्ति उपलब्ध नहीं है तो, सह–अपराधी की नई जमानत याचिका उपलब्ध वरिष्ठतम माननीय न्यायमूर्ति (न्यायमूर्तियों) के समक्ष लिस्ट की जाएगी।**

15. आने वाले पूरे सप्ताह की अग्रिम दैनिक सूची पिछले कार्यदिवसीय शुक्रवार या पिछले सप्ताह के अंतिम न्यायालयीन कार्यदिवस, जैसा भी हो, को शाम 7 बजे तक प्रकाशित की जाएगी और उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

16. यदि अंतिम सूची के तैयार होने के पश्चात् कोई आवश्यक/ बकाया/ ग्राह्यता हेतु (for Admission) नया प्रकरण अगले न्यायालयीन कार्य दिवस पर लिस्ट किया जाना आवश्यक हो तो वह **पूरक सूची** में शामिल किया जाएगा। पूरक सूची में वह सीरियल नंबर दर्शाया जायेगा, जब उक्त सूची में शामिल प्रकरण उसकी श्रेणी के अनुसार सुनवाई हेतु लिया जायेगा।

17. 'आदेश प्रकरण' (Order Matters) जो कि 'समान आदेश' (Common Orders) द्वारा निपटाए जा सकते हैं, वे उनमें पारित प्रस्तावित आदेश और संबंधित प्रकरण की वापसी योग्य दिनांक के साथ बोर्ड पर अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

18. एक बार यदि कोई प्रकरण 'समान आदेश (Common Orders) शीर्षक के अंतर्गत लिस्ट हो चुका है तथा समयावधि में दोष निवारण नहीं किया गया है, तो ऐसा प्रकरण (प्रकरणों) उस दोष (Default) के संबंध में 'आदेश' (Orders) शीर्षक के अंतर्गत वापसी योग्य तारीखों पर लिस्ट किया जाएगा।

19. 'प्रारंभिक सुनवाई' (Motion Hearing) प्रकरणों की सूची में वरीयता क्रम में निम्नलिखित अलग–अलग शीर्ष होंगे :–

क्रमांक	शीर्ष का विवरण
A	समान आदेश (Common Orders)
B	समझौता (Settlement)
C	व्यक्तिगत उपस्थिति (Personal Appearance)
D	जमानत प्रकरण 1. जमानत याचिका अंतर्गत धारा 438 दं.प्र.सं. 2. जमानत याचिका अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. 3. ग्राह्य (Admitted) प्रकरणों में दण्डादेश का निलंबन अंतर्गत धारा 389 दं.प्र.सं.।
E	निर्देश प्रकरण (Direction Matters)
F	आदेश (Orders)
G	सूची शीर्ष पर (Top of the list) (ग्राह्यता हेतु) (for Admission)
H	ग्राह्यता हेतु (for Admission) 5 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरण
I	नए प्रकरण (ग्राह्यता हेतु) (for Admission) 1. व्यवहार (सिविल) 2. आपराधिक
J	नोटिस पश्चात् (ग्राह्यता हेतु) After Notice (For Admission) 1. आपराधिक 2. व्यवहार (सिविल)
K	ग्राह्यता (Admission) की अवस्था पर अंतिम निराकरण हेतु 1. व्यवहार (सिविल) 2. आपराधिक

20. ग्राह्यता पूर्व प्रकरणों (Pre Admission Matters) (ऐसे प्रकरण जो कि न्यायालय द्वारा औपचारिक रूप से ग्राह्य किए जाने हैं) में दायर अंतरवर्ती आवेदन (Interlocutory Application) सामान्यतः उनकी वापसी योग्य दिनांक को मुख्य प्रकरण के साथ लिस्ट किए जाएंगे, **यद्यपि,**

एक पक्षीय अंतरिम सहायता निरस्त करने हेतु आवेदन को शीर्षक "आदेश" के अंतर्गत कार्यालयीन आपत्तियां, यदि कोई हो, के निवारण की दिनांक से पाँचवे न्यायालयीन कार्य दिवस को लिस्ट किया जाएगा।

21. सभी संबद्ध प्रकरण (Connected Matters) अलग–अलग नहीं वरन् एक ही क्रमसंख्या के अंतर्गत (उनकी उपसंख्या के साथ) दैनिक/साप्ताहिक सूची में लिस्ट किए जाएंगे।

22. बाहरी अधिवक्ताओं के प्रकरण माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा इस संबंध में जारी किए गए प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार सप्ताह के एक विशेष दिवस को लिस्ट किए जाएंगे।

23. मुख्य पीठ तथा अन्य न्यायपीठों की खण्डपीठ क्रमांक–1 के समक्ष लिस्ट होने वाले प्रकरण खण्डपीठ क्रमांक–1 हेतु निर्धारित पृथक आवंटन के अनुसार होंगे।

मामलों का उल्लेखन (Mentioning of Matters)

24. एकल/खण्डपीठ के ऐसे प्रकरण जो दैनिक/साप्ताहिक सूची में नहीं हैं, उन्हें अत्यावश्यक (urgent) रूप से लिस्ट करने या उनकी नियत तिथि में परिवर्तन करने हेतु 'उल्लेखन' (Mentioning) केवल खण्डपीठ क्रमांक–1 के समक्ष ही किया जावेगा, किंतु ऐसे प्रकरण जो दैनिक/साप्ताहिक सूची में हैं, उनका 'उल्लेखन' उन्हीं एकलपीठ/खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा जहाँ वे सूचीबद्ध (List) है।

25. ग्राह्यता हेतु प्रत्येक नवीन प्रकरण (Fresh Admission Matters) कार्यालयीन आपत्तियों के निवारण की दिनांक से तीसरे न्यायालयीन कार्य दिवस पर 'उल्लेखन' (Mentioning) की आवश्यकता के बिना अपने आप लिस्ट में आ जाएगा।

26. ग्राह्यता पूर्व (Pre-Admission) के ऐसे मामले जिनमें पहले से ही न्यायालय अथवा कम्प्यूटर द्वारा दिनांक नियत की जा चुकी है, किन्तु वह पक्षकारों अथवा अधिवक्ता को सुविधाजनक नहीं है तो भी ऐसे मामला को उक्त नियत दिनांक से पहले सुनवाई में लेने (Prepone) हेतु

अथवा उक्त नियत तिथी में परिवर्तन हेतु 'उल्लेखन' (Mentioning) सामान्यतः तब तक नही किया जाना चाहिए जब तक की मामले में कोई ऐसी अत्यावश्कता (Urgency) नहीं हो कि उक्त नियत दिनांक तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती।

27. एकलपीठ के माध्यस्थम/कंपनी/कराधान/निर्वाचन मामलों का 'उल्लेखन' (Mentioning) नामांकित न्यायाधीश (न्यायाधीशों) के समक्ष किया जाएगा।

28. 'उल्लेखन' की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा मामलों के उल्लेखन से न्यायालयों पर उत्पन्न होने वाले दबाव को कम करने के लिए 'उल्लेखन ज्ञापन' (Mentioning memo) सर्वप्रथम **पूर्वान्ह 10:30 – 11:30** के मध्य, मुख्य पीठ जबलपुर के रजिस्ट्रार (J-II) के समक्ष तथा क्रमशः इंदौर एवं ग्वालियर खण्डपीठों के प्रधान रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँगे जो 'उल्लेखन पर्ची' (Mention slip) में निम्न के बारे में पृष्ठांकन करेंगे:–

(क) संस्थापन दिनांक (ख) कार्यालयीन आपत्ति के निवारण की दिनांक (ग) प्रकरण की अंतिम लिस्टिंग दिनांक (घ) प्रकरण का प्रकार – नवीन दायर/नोटिस पश्चात् (After Notice)/अंतिम सुनवाई (ड़) यदि अंतिम सुनवाई का प्रकरण हो तो क्या वह सुनवाई के लिए तैयार है तथा त्रैमासिक सूची के संबंधित श्रेणी में उसका नंबर (च) न्यायालय द्वारा दी गई या कम्प्यूटर जनित वापसी दिनांक, जो भी स्थिति लागू हो। **तथापि, अति आवश्यक मामले उसी दिवस में माननीय 'उल्लेखन न्यायालय' (Mentioning Court) (अर्थात खण्डपीठ क्रमांक–1) के समक्ष उल्लेखित किए जा सकते हैं ।**

29. संबंधित रजिस्ट्रार सभी उल्लेखन ज्ञापनों (Mention Memos) को उसी दिन शाम को न्यायालय के रीडर को भेजेंगे।

30. अधिवक्ता/पक्षकार अगले दिन प्रातः 10:30 बजे से पहले रजिस्ट्रार के पृष्ठांकन का अवलोकन अवश्य करें। केवल उन्ही मामलो को, जिनके उल्लेखन ज्ञापनों को संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा पृष्ठांकित किया गया है, उस न्यायालय के समक्ष उल्लेखित किया जाये जो उस मामले की

सुनवाई कर रहा है, जिसमें प्रदान की गई दिनांक पक्षकार को स्वीकार्य न हो।

अंतिम सुनवाई (FINAL HEARING)

31. संबंधित खण्डपीठ के लिए अधिसूचित प्रारंभिक सुनवाई (Motion Hearing) के मामलों की सुनवाई के पश्चात् उस खण्डपीठ द्वारा अंतिम सुनवाई के प्रकरण क्रम से सुनवाई हेतु लिए जाएँगे।

32. अंतिम सुनवाई के प्रकरणों की एक समेकित (Consolidated) त्रैमासिक सूची उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर दिखाई जाएगी। इस सूची में दी गई श्रेणी के ऐसे प्रकरण तिथि के क्रम से शामिल होंगे जो कि अंतिम सुनवाई के लिए तैयार हैं। समेकित त्रैमासिक सूची में शामिल प्रकरणों की सापेक्ष स्थिति उस प्रकरण की प्रकरण–स्थिति' (Case Status) में दिखाई जाएगी।

33. समेकित त्रैमासिक सूची में से ही एक साप्ताहिक सूची तैयार की जाएगी। इस सूची में माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा किसी विशिष्ट खण्डपीठ को आवंटित श्रेणियों के प्रकरण आनुपातिक संख्या में तिथि के क्रम से होंगे। साप्ताहिक सूची में अधिसूचित प्रकरण कम्प्यूटरीकृत प्रोग्राम से उस श्रेणी के लंबित प्रकरणों की संख्या के अंतरवर्ती अनुपात (inter se ratio) में होंगे।

34. नीति के अनुसार, यदि किसी दी गई श्रेणी में सप्ताह में सूचीबद्ध करने हेतु सिर्फ 5 या 5 से कम प्रकरण उपलब्ध हैं तो वे सभी प्रकरण साप्ताहिक सूची में शामिल किए जाएँगे।

35. यदि कोई प्रकरण किसी दी हुई श्रेणी के सबसे पुराने प्रकरण से भी पुराना होते हुए साप्ताहिक सूची में छूट गया है या गलत श्रेणी में शामिल हो गया है, जिससे उसकी वरिष्ठता कम हो गई है तो पक्षकारों/अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि वे ऐसे मामलों की ओर रजिस्ट्रार (न्यायिक) का ध्यान आकर्षित करें ताकि सुधार हेतु उपाय किए जा सकें।

36. भागतः सुने गए/विशेष रूप से आवंटित मामले (सिवाय निर्वाचन याचिकाएं तथा पूर्णपीठ के मामले) संबंधित श्रेणी के प्रकरणों के आवंटन में परिवर्तन की स्थिति में भागतः सुने गए/ विशेष रूप से आवंटित नहीं कहलायेंगे, जब तक कि पक्षकारों द्वारा मामले को जारी रखने का अनुरोध न किया जाए तथा उसे माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत न किया जाए।

37. निर्वाचन याचिकाएं, संबंधित न्यायाधीश द्वारा, जिन्हें ऐसी याचिकाएं आवंटित की गई है, ऐसी याचिकाओं की छः माह के भीतर निराकरण की विधायी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकता से सुनी जायेंगी ।

कम्पनी, माध्यस्थम, कराधान तथा निर्वाचन मामलों के लिए विशेष आवंटन

38. आवंटन में कम्पनी, माध्यस्थम, कराधान तथा निर्वाचन मामलों के लिए विशेष आवंटन अधिसूचित किए जाएँगे ।

ई – सेवाएँ

39. नए दायर किए गए प्रकरण में दोष (Default) की दशा में अधिवक्ता तथा/अथवा पक्षकार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ई–मेल पर स्वजनित एसएमएस/ई–मेल भेजा जाएगा। इसी प्रकार की सेवायें प्रकरणों की लिस्टिंग के संबंध में भी प्रदान की जावेगी।

नोटः–**उपरोक्त योजना लचीली होकर अधिवक्ताओं/पक्षकारों की समस्याओं का समाधान करने एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं हेतु उचित परिवर्तन के लिए खुली है तथा आंतरिक व्यवहारिक स्वचालित कम्प्यूटर पद्धति द्वारा संचालित है।**

हस्ताक्षरित
(विरेन्दर सिंह)
प्रधान रजिस्ट्रार (न्यायिक)

हस्ताक्षरित
माननीय मुख्य न्यायाधीश